यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/13/2018 **दिनांक :** 13.02.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

अस्थायी एवं ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

उपरोक्त विषय में एआईबीईए ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28/59/2018/7 दिनांक 13.02.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है तथा मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा 06.10.17 को जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि भी इस परिपत्र की साथ संलग्न की जा रही है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

विषय : अस्थायी और ठेका कर्मचारियों की सहभागिता – न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

अस्थायी रिक्तियों को भरने या स्थायी कर्मचारियों की भर्ती में देरी के कारण, बैंक अस्थायी आधार पर लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, विशेष रूप से अधीनस्थ संवर्ग में। इसी तरह, हमारी प्रतिरोध और विरोध के बावजूद और यद्यपि द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए, बैंक आउटसोर्स एजेन्सियों आदि के माध्यम से ठेका कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। इस तरह के ठेका कर्मचारी सुरक्षा के कार्यों, चौकीदार, सशस्त्र रक्षक, आदि के लिए लगे हुए हैं तथा साफ–सफाई, झाड़–पोंछ, शाखाओं की देखभाल आदि के लिए भी।

हमारे संज्ञान में ऐसी घटनायें आ रही हैं कि प्रबन्धन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार इन अस्थायी और ठेका कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं और उन्हें मनमानी एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा रहा है।

नियमित कर्मचारियों के रूप में ठेका कर्मचारियों के समामेलन और ठेका कार्यों/नियमित एवं स्थायी प्रवृत्ति के कार्यों की आउटसोर्सिंग के उन्मूलन की माँग, के साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तब तक, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, इन कर्मचारियों को कानून के अनुसार कम से कम **न्यूनतम मजदूरी** का भुगतान किया जाए।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 06.10.2017 के आदेश के अनुसार (प्रतिलिपियां संलग्न), **01.10.2017 से प्रभावी** निम्नलिखित न्यूनतम मजदूरी देय है।

साफ–सफाई और झाड़–पोंछ के रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए :

क्षेत्र	**मजदूरी की दर + दैनिक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**		
	मूल मजदूरी रू0	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0	कुल रू0
A	523	13	536
B	437	11	448
C	350	9	359

- क्षेत्रों A, B तथा C में शहरों का वर्गीकरण – अनुलग्नक देखें

देखभाल और सुरक्षा (शस्त्र के बिना) के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के लिए :

क्षेत्र	**मजदूरी की दर + दैनिक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**		
	मूल मजदूरी रू0	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0	मूल मजदूरी रू0
A	637	16	653
B	579	14	593
C	494	12	506

देखभाल और सुरक्षा (शस्त्र सहित) के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के लिए :

क्षेत्र	**मजदूरी की दर + दैनिक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**		
	मूल मजदूरी रू0	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0	मूल मजदूरी रू0
A	693	17	710
B	637	16	653
C	579	14	593

ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में धारा 21

मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी :

(1) एक ठेकेदार ठेका मजदूर के रूप में उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा जैसा कि अधिसूचित हो।

(2) प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित होने के लिए उसके द्वारा विधिवत अधिकृत एक प्रतिनिधि को मनोनीत करेगा तथा इस तरीके से मजदूरी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को प्रमाणित करना ऐसे प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा जैसा कि अधिसूचित हो।

(3) प्रमुख नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य होगा।

(4) अगर ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है या कम भुगतान करता है, तब प्रमुख नियोक्ता ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को पूर्ण या अदत्त शेष राशि, जैसा भी मामला हो, में मजूदरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ठेकेदार से भुगतान की गई राशि को वसूल करेगा या तो किसी ठेके के तहत ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली किसी राशि से कटौती द्वारा अथवा ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में।

नोट : बैंक प्रमुख नियोक्ता है।

इकाईओं से इन विवरणों और प्रावधानों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाता है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री